न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र,
ग्राम पंचायत धांधोली

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 476/2012
रज्जु दिनांकः 28/12/2012
निर्णय दिनांक : 12/05/2016

रतनलाल पुत्र गोपाल जाति जाट उम्र 55 वर्ष, निवासीः रहलाना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. बोदू पुत्र कज्जा उम्र 65 वर्ष, निवासीः दांतरी, तहसील मौजमबाद, जिला जयपुर।

2. बद्री पुत्र श्योचन्द उम्र 40 वर्ष, निवासीः बागेत, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

3. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11(डी)
सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थितः

श्री भैरू लाल शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री उदय सिंह चौधरी एडवोकेट
श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
श्री नारायण सहाय पारीक एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

निर्णय दिनांकः 12/05/2016

Scanned with CamScanner

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बउनवानी वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनवानी वाद/अस्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में प्रार्थी/वादी द्वारा इकरारनामा के आधार पर पेश किया है, इकरारनामा के आधार पर वादी/प्रार्थी को वाद दायर करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। इकरारनामा के आधार पर वाद को माननीय न्यायालय को दर्ज रजिस्टर करने तक का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा रा.टी.एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इकरारनामा के आधार पर विशिष्ट पालना का वाद वादी/प्रार्थी द्वारा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11(डी) सी.पी.सी. दिनांक 23.10.2013 को प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादी ने प्रस्तुत वाद में जिस इकरारनामा दिनांक 24.05.2011 को आधार बनाकर प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार न होने के आधार पर खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी ने अपनी बहस में वकील प्रतिवादी/प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुये बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी स्वेच्छा से वादी के हक में इकरारनामा दिनांक 24.05.2011 के द्वारा अपने हक हिस्से की आराजीयात का बेचान किया था, बावजूद इसके प्रतिवादी संख्या 1 ने इकरारनामा से बेचान की हुई आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दी जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार नहीं था। विक्रय पत्र वादी के अधिकारो के विरूद्व

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

बेअसर व शून्य है इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र विधिसंगत नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, फोटोप्रति इकरारनामा दिनांक 24.05.2011, सत्यप्रति विक्रयपत्र, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये इकरारनामा दिनांक 24.05.2011 के द्वारा खसरा नंबर 1757 रकबा 1.7700 हैक्टेयर वाके ग्राम रहलाना की आराजीयात का बेचान वादी को किया था जिसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के कर दिया।

चूंकि वादी ने वाद इकरारनामा दिनांक 24.05.2011 की पालना करवायी जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को न होकर सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। लिहाजा न्यायहित में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11(डी) सी.पी.सी. स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत धांधोली में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner